



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

क्रमांक: भा.वि.प्रा./जोधपुर/नि.वि./एमटी/ पिकअप-वाहन/2021-23/ 1789-96 दिनांक: 21/10/2021
No.: AAI/JODHPUR/APD/MT/PICKUP-VEHICLE/2021-23/ Date: 21/10/2021

सेवामें,

To,

मैसर्स रॉयल राजस्थान टूरस एंड टेवल्स,
शॉप न 10, जसवंत सराय के बाहर,
रेलवे स्टेशन रोड, जोधपुर - 342001

M/S. Royal Rajasthan Tours & Travels
Shop No. 10, Outside Jaswant Sarai,
Railway Station Road, Jodhpur (Raj.)

कार्य का नाम: “सिविल एयरपोर्ट, जोधपुर पर सीआईएसएफ यूनिट के लिए 20 सीटर (न्यूनतम) पिक-अप वैन (एक TATA-709 नॉन एसी या समतुल्य वाहन) को किराए पर लेना”।

Name of work: - “Hiring of 20 Seater (Minimum) Pick-Up Van (One No. TATA-709 Non AC or Equivalent Vehicle) for CISF Unit at Civil Airport, Jodhpur.”

संदर्भ:- आपकी निविदा (Tender ID- 2021_AAI_82288_1) वित्तीय बिड दिनांक 27-08-21 को खोली गयी।

Ref:- Your e-Bid invitation(Tender ID- 2021_AAI_82288_1) Financial Bid opened on dtd. 27-08-21.

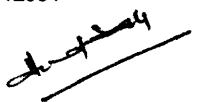
महोदय,

1. सिविल हवाई अड्डा, जोधपुर पर एक नॉन ए.सी. पिक – अप वाहन या समकक्ष वाहन किराये पर लेने हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत की गई ई-निविदा के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि भा.वि.प्रा. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपकी उक्त निविदा को मंजूरी प्रदान की गई है। ठेके की अवधि दो वर्ष होगी तथा ठेके हेतु नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-
 - I. वाहन उपलब्ध व प्रचालित करने की मासिक दर रु. 88,888.00 (रूपये अट्ठासी हजार आठ सौ अट्ठासी मात्र) होगी। कुल खर्च रु 88,888.00 प्रतिमाह X 24 माह= रु. 21,33,312/- (रूपये इक्कीस लाख तैतीस हजार तीन सौ बारह मात्र) होगा। (जीएसटी अतिरिक्त)(कार्य का विवरण संलग्न है।)
 - II. प्रतिमाह निर्धारित माइलेज सीमा 600 कि.मी. से अधिक एवं 500 किमी से कम वाहन चलने पर अतिरिक्त (देय/ कटौती) प्रति कि.मी. प्रचालन दर रु. 9.90/- (रूपये नौ एवं नब्बे पैसे मात्र) होगी।
2. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक हवाई अड्डा, जोधपुर इस कार्य के प्रभारी होंगे। आपसे निवेदन है आप करारनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 05/11/2021 तक विमानपत्तन निदेशक, जोधपुर के कार्यालय में उपस्थित हो तथा करारनामे को पूरा करें। ठेके का करारनामा रु 500/- के नोनज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा जिसका खर्चा आपके द्वारा उठाया जाएगा।
3. ठेके हेतु सुरक्षा धनराशि रु. 2,13,331 (रूपये दो लाख तैरह हजार तीन सौ ईकतीस मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/ बी.जी. द्वारा इस कार्यादेश के जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में जमा करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट/ बी.जी. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम पर तथा जोधपुर में देय होना चाहिए।

निदेशक विमानपत्तन कार्यालय, सिविल एयरपोर्ट, जोधपुर-342011, फोन: 0291-2595201 निवास: 0291-6550727 फैक्स: 0291-2512934

O/o Airport Director, Civil Airport, Jodhpur – 342011, Ph : 0291-2595201 Resi.: 0291-6550727 Fax: 0291-2512934

“हिन्दी पत्रों का स्वागत है।”


निदेशक विमानपत्तन
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
सिविल एयरपोर्ट, जोधपुर-342011
Civil Enclave
Jodhpur



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

लगातार.....2..

-2-

4. आपको सलाह दी जाती है कि कार्य आरम्भ करने से पूर्व वाहन चालकों का विवरण, वैध लाइसेंस एवं पुलिस वैरीफिकेशन रिपोर्ट के साथ इस कार्यालय में जॉच के लिए प्रस्तुत करें।
5. प्रत्येक माह का बिल माह की 10 तारीख तक ड्राइवरों की मासिक उपस्थिति, वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र (Wage Slips) एवं ईपीएफ व ईएसआई जमा कराने के चालान की प्रतिलिपि आदि की दो प्रतियों को कार्यालय विमानपत्तन निदेशक, सिविल हवाई अड्डा, जोधपुर में भुगतान के लिए प्रस्तुत करें। भुगतान आर.टी.जी.एस. /एन.इ.एफ.टी पद्धति द्वारा सीधे ही फर्म के बैंक खाते में किया जायेगा जिसके लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ आर.टी.जी.एस. /एन.इ.एफ.टी प्रोफार्मा (एक निरस्त चैक के साथ) बिल के साथ प्रस्तुत करें।
6. आप से अनुरोध है कि आप संविदा श्रम (विनियम, वं उन्मूलन) अधिनियम 1970 तथा संविदा श्रम (विनियम व उन्मूलन) केन्द्रीय नियम 1971, बाल श्रम (प्रतिबंधन व उन्मूलन) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिक (सेवा की शर्तें व कर्मचारी का विनियम) अधिनियम 1996, भवन, वं अन्य निर्माण श्रमिक विश्राम अधिनियम 1996 निविदा दस्तावेज की जीसीसी के पृष्ठ सं- 1 पर शर्त खण्ड 3 के रूप में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जीसीसी के पृष्ठ सं - 5 पर शर्त खण्ड 14 के रूप में, ई.पी.फ अधिनियम 1952 व कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 जीसीसी के पृष्ठ सं - 5 पर शर्त खण्ड 13 (iv) के प्रावधानों और केन्द्रीय व राज्य सरकारों के तदसंबंधी नियमों का अनुपालन करें।
7. आपसे अनुरोध है कि आप COVID-19 महामारी के रोकथाम के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य / संघ शासित क्षेत्र प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।
8. आपको सहा. प्रबन्धक (तकनीक), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जोधपुर हवाई अड्डा, जोधपुर से तत्काल संपर्क करने का भी निर्देश दिया जाता है। आपको कार्यस्थल (साइट) सौंपने का कार्य उनके द्वारा ही किया जाएगा।
9. कृपया नोट कर लें कि कार्य पूरा करने के लिए आपको 24 (चौबीस) माह का समय प्रदान किया जाता है। यह समय इस पत्र के जारी होने के बाद दिनांक 01/11/2021 वे दिन से प्रारम्भ माना जाएगा।
10. संविदा के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार सामान्यतः विमानपत्तन निदेशक के नाम से किया जाएगा।
11. कृपया इस कार्यदेश की प्राप्ति सूचना एवं उक्त कार्य प्रारम्भ करने हेतु अपनी सहमति फर्म के लैटर हैड पर कार्यदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- बिल ऑफ क्वांटिटी ई-पोर्टल के अनुसार।

-----sd-----

(अवधेश अग्रवाल)

विमानपत्तन निदेशक

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

सिविल हवाई अड्डा, जोधपुर।

निदेशक विमानपत्तन कार्यालय, सिविल एयरपोर्ट, जोधपुर-342011, फ़ोन: 0291-2595201 निवास: 0291-6550727 फ़ैक्स: 0291-2512934

O/o Airport Director, Civil Airport, Jodhpur - 342011, Ph : 0291-2595201 Resi.: 0291-6550727 Fax: 0291-2512934

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है।"

विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
सिविल एयरपोर्ट, जोधपुर-342011
जोधपुर-Jodhpur



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (तकनीकी) उ.क्षे., भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, प्रचालन काम्प्लेक्स, गुरुग्राम रोड, नई दिल्ली-37
2. प्रबन्धक (वित्त), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक हवाई अड्डा जोधपुर।
3. सहा. प्रबन्धक (एमटी), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक हवाई अड्डा जोधपुर।
4. सहायक श्रम आयुक्त, जोधपुर।
5. क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त, 130 पश्चिम पाल विस्तार योजना, शंकर नगर के सामने, जोधपुर।
6. करारनामा प्रतिलिपि।
7. सम्बन्धित फाइल।

(Handwritten signature)
21/12/2021

(अवधेश अग्रवाल)

विमानपत्तन निदेशक

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

सिविल हवाई अड्डा, जोधपुर।

विमानपत्तन निदेशक
Airport Director
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
सिविल एन्क्लेव, Civil Enclave
जोधपुर-Jodhpur

निदेशक विमानपत्तन कार्यालय, सिविल एयरपोर्ट, जोधपुर-342011, फ़ोन: 0291-2595201 निवास: 0291-6550727 फ़ैक्स: 0291-2512934

O/o Airport Director, Civil Airport, Jodhpur - 342011, Ph : 0291-2595201 Resi.: 0291-6550727 Fax: 0291-2512934

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है।"



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Schedule of Quantity

Name of Work:- "Hiring of 20 Seater (Minimum) Pick-Up Van (One No. TATA-709 Non AC or Equivalent Vehicle) for CISF Unit at Civil Airport, Jodhpur."

Sl. No.	Description	Unit	Qty	Rates (In Rs.)	Total Amount (In Rs.)
1.	Hiring of One No. Non AC Pick Up Van (TATA-709 or its Equivalent Vehicle registered for commercial use) <u>with 02 drivers in 02 shifts on all days (16 Hrs / Day) in a month (including Saturdays, Sundays, Weekly Offs & Other Govt. / Public Holidays) with the monthly milage of 600 Kms</u> for the usage of CISF Unit at Airports Authority of India, Civil Airport, Jodhpur including fuelling & all expenses for running, operation and maintenance of Vehicle etc. complete as required.	Month	24	88,888.00	21,33,312.00
				Total Rs.	21,33,312.00
2.	Rates per Km for Extra / Less Kms USAGES (over and above 600 Kms or Below / less than 500Km in a month) <u>Refer Clause 24 (viii) of Section – B: Special Conditions</u>	Kilo meter	1	9.90	9.90

(Signature)
21/11/2024

(अवधेश अग्रवाल)

विमानपत्तन निदेशक

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,

सिविल हवाई अड्डा, जोधपुर।

निदेशक विमानपत्तन कार्यालय, सिविल एयरपोर्ट, जोधपुर-342011, फ़ोन: 0291-2595201 निवास: 0291-6550727 फैक्स: 0291-2512934

O/o Airport Director, Civil Airport, Jodhpur – 342011, Ph : 0291-2595201 Resi.: 0291-6550727 Fax: 0291-2512934

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है"